न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 33/2024 (राजसमन्द डिकी)

1. रहीमबक्ष पिता दाउद मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. फतह मोहम्मद पिता रहीमबक्ष मुसलमान मुतबन्ना अहमद जी, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. अनार मोहम्मद पिता रहीमबक्ष मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. मुबारिक पिता रहीमबक्ष मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. इकबाल पिता रहीमबक्ष मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. रामचन्द्र पिता हीरालाल जी पूर्बिया, निवासी स्टेशन रोड़, कांकरोली, जिला राजसमन्द (राज.)
2. हुक्मीचन्द पिता गेहरीलाल जी लोहार, निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. विनोद पिता सोहनलाल कच्छारा (महाजन), निवासी धोईन्दा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. शम्भूसिंह पिता मोहनसिंह जी बल्खा राजपूत, निवासी सादुल (केलवा), तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. रमेश पिता लालूराम सनाढ्य (ब्राहमण), निवासी राज्यावास, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
6. श्रीमती हुरी विधवा मांगू जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क किया गया
7. पीर मोहम्मद पिता मांगू जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. अलारख पिता मांगू जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
9. अहमद पिता दाउद जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (मृतक) नाम तर्क किया गया
10. मोहम्मद पिता अलाउद्दीन जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
11. लतीफ पिता अलाउद्दीन जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

12. अंसार पिता इस्माईल जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. आरीफ पिता इस्माईल जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
14. पिन्टू पिता इस्माईल जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
15. शहजाद बानु पिता इस्माईल जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
16. श्रीमती जैतुन बानु पत्नी इस्माईल जी मुसलमान, निवासी रेलमगरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
17. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा– 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰– 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दि0
27–06–2024 प्रकरण सं. 203/2010

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री ओंकार लाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री धनसिंह झाला राजकीय अभिभाषक रे.सं. 17

–––::–––

निर्णय **दिनांक 06–11–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 6 से 8 के पिता/पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 9 ने एक वाद बाबत् राजस्व अभिलेखों में सही इन्द्राज कराने व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 से 3 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की संख्या 2069 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि रेलमगरा में स्थित है। वादी संख्या 4 व 5 के स्वामित्व की आराजी संख्या 2084 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा ग्राम रेलमगरा में स्थित है। उक्त आराजी वादी संख्या 4, 5 ने वादी संख्या 1, 2, 3 से क्रय किया, जिससे वादी संख्या 4 व 5 के नाम हस्तान्तरित [illegible] वादी संख्या 1, 2, 3 ने उक्त आराजी संख्या 2069 का [illegible] पैमाईश की आराजी नंबर 1642 की एवं आराजी नंबर 2084 का भी गत [illegible] की आराजी संख्या 1642 थी। अर्थात गत पैमाईश की आराजी नंबर 1642 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

वर्तमान में दो आराजी बनी है जो 2069 व 2084 है। गत पैमाईश में आराजी नंबर 1642 का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था, जिसका नवीन रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा बनना चाहिए था, किन्तु 4 बीघा 11 बिस्वा ही बनाया गया है। अर्थात 19 बिस्वा भूमि कम बनायी गयी है, जो प्रतिवादीगण की आराजी नंबर 2068 में मिला दिया गया है, लेकिन वादीगण का कब्जा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर ही चला आ रहा है। प्रतिवादीगण की गत पैमाईश की आराजी नंबर 1645 रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा का नवीन रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा बनना चाहिए था, जबकि उसके नवीन आराजी नंबर 2068 का रकबा 9 बीघा हो गया है। अर्थात 19 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज हो गयी है। उक्त जानकारी होने पर वादीगण ने प्रतिवादीगण से कहा तो प्रतिवादीगण ने इंकार कर दिया और कहा कि यह गलती हमारी नहीं होकर सरकार की है। इसलिए वादीगण को यह वाद लाना पड़ा। अतः उक्त इन्द्राज दुरस्ती करायी जाकर वादी का कमी रकबा 19 बिस्वा आराजी नंबर 2068 में जोड़ा जाकर राजस्व नक्शे में अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

2. प्रतिवादी 1 द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का रकबा 19 बिस्वा कम नहीं होकर 15¼ ही कम हुआ है, जो प्रतिवादीगण की आराजी नंबर 2068 में नहीं मिलाया गया है, बल्कि कुछ रकबा वर्तमान आराजी नंबर 2070 से 2072 में मिला दिया गया है, क्योंकि आराजी नंबर 2070 से 2072 के गत पैमाईश के आराजी नंबर 1641/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा था, जिसका नवीन रकबा 3 बीघा 18¾ बिस्वा ही होता है, जबकि नवीन आराजी नंबर 2070 से 2072 का रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा है, जो पुराने रकबा से 8¼ बिस्वा अधिक है। इसी प्रकार आराजी नंबर 2081 के गत पैमाईश के नंबर 1636/2 होकर रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा था, जिसका नवीन रकबा 1 बीघा 8¾ बिस्वा बनाना चाहिए था, जबकि नवीन आराजी नंबर 2081 1 बीघा 14 बिस्वा बना दिया गया है, जो 5¼ बिस्वा अधिक है। इसी प्रकार आराजी नंबर 2082 रकबा 2 बीघा के साबिक आराजी नंबर 1636/1 होकर रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा था, जिसका नवीन रकबा 1 बीघा 12½ बिस्वा ही बनाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन ... अधिकारी
उदयपुर (राज.)

चाहिए था, जबकि नवीन रकबा 2082 का 2 बीघा बना दिया गया है, जो 7½ बिस्वा अधिक है। वादीगण का कब्जा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर ही है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

3. प्रतिवादी संख्या 2 से 6 द्वारा भी इसी प्रकार के खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया एवं वादीगण का वाद मिथ्या आधारों पर होने का कथन करते हुए वादीगण का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने वाद एवं जवाबदावे के आधार पर कुल 6 तनकियां कायम की एवं तनकीवार विवेचन करते हुए दिनांक 27–06–2024 को वादीगण का वाद कुसंयोजन एवं असंयोजन से प्रभावित होना मानकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 05–08–2024 को प्रस्तुत की गई है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 17 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री ओंकारलाल डांगी उपस्थित हुए तथा लिखित बहस प्रस्तुत की, जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अपीलान्टगण के नाम 19 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है, क्योंकि अपीलान्टगण के खाते की साबिक आराजी नंबर 1642 का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा था, जिसके नवीन नंबर 2069 व 2084 का रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा ही बनाया गया है, जबकि 5 बीघा 10 बिस्वा बनना चाहिए था। अपीलान्टगण का उक्त 19 बिस्वा कमी रकबा प्रतिवादी अलाउद्दीन के आराजी नंबर 2068 में मिला दिया गया है, जो गलत है। वर्तमान [illegible] व साबिका [illegible] मिलान से भी यह स्पष्ट है कि आराजी नंबर 2068 में 1[illegible] बिस्वा [illegible] अंकित कर दी गयी है। रेस्पोडेन्ट के साबिक आराजी नंबर 164[illegible] 5 बीघा 18 बिस्वा का हाल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा ही बनता है, [illegible]बकि

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:17 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबंध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

हाल आराजी नंबर 2068 का रकबा 9 बीघा बना दिया गया है। इस प्रकार 19 बिस्वा भूमि अधिक दर्ज की गयी है, जो कम की जाकर अपीलान्टगण के खाते दर्ज की जानी एवं नक्श में इन्द्राज की जानी आवश्यक है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने नक्शा ट्रेस व दस्तावेजों को बिना देखे वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमायी जाकर अपीलान्टगण का वाद डिक्री फरमाया जावे।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

8. हमने उक्त पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रदर्श 5 अनुसार साबिक आराजी नंबर 1642 का रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा से हाल आराजी नंबर 2069 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं 2084 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा बनना प्रकट होता है। अपीलान्ट का कथन है साबिक के मुकाबले हाल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा बनना चाहिए था, किन्तु 19 बिस्वा भूमि कम दर्ज हुई है, जो प्रतिवादी की आराजी नंबर 2068 में चली गयी है, किन्तु अपीलान्ट/वादीगण द्वारा इस बाबत् कोई दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित होता है कि अपीलान्ट का कमी रकबा प्रतिवादी की आराजी नंबर 2068 में ही गया हो, जबकि दूसरी ओर प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत कर यह कथन किया कि वादीगण का रकबा 19 बिस्वा कम नहीं होकर 15¼ ही कम हुआ है, जो प्रतिवादीगण की आराजी नंबर 2068 में नहीं मिलाया गया है, बल्कि कुछ रकबा वर्तमान आराजी नंबर 2070 से 2072 में मिला दिया गया है, क्योंकि आराजी नंबर 2070 से 2072 के गत पैमाईश के आराजी नंबर 1641/1 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा था, जिसका नवीन रकबा 3 बीघा 18¾ बिस्वा ही होता है, जबकि नवीन आराजी नंबर 2070 से 2072 का रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा है, जो पुराने रकबा से 8¼ बिस्वा अधिक है। इसी प्रकार आराजी नंबर 2081 के गत पैमाईश नंबर 1636/2 होकर रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा था, जिसका नवीन 1 बीघा 8¾ बिस्वा बनाना चाहिए था, जबकि नवीन आराजी नंबर 2081

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

1 बीघा 14 बिस्वा बना दिया गया है, जो 5¼ बिस्वा अधिक है। इसी प्रकार आराजी नंबर 2082 रकबा 2 बीघा के साबिक आराजी नंबर 1636/1 होकर रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा था, जिसका नवीन रकबा 1 बीघा 12½ बिस्वा ही बनाना चाहिए था, जबकि नवीन रकबा 2082 का 2 बीघा बना दिया गया है, जो 7½ बिस्वा अधिक है। वादीगण का कब्जा 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि पर ही है। प्रतिवादीगण के उक्त कथन का कोई खण्डन अपीलान्ट/वादीगण द्वारा नहीं किया गया है। वादीगण का वाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होता है, जिसे वादीगण साबित कराने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन करते हुए तनकी नंबर 1 जिसे साबित करने का भार वादीगण पर था, वादीगण के विरूद्ध निर्णित की है एवं उपरोक्त आधार पर अन्य तनकियों का विवेचन करते हुए वादीगण का वाद खारिज किया है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आलोक में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

9. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 27–06–2024 यथावत रखी जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 06–11–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

6.11.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:17 IST
Reason: SelfAttested